



संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/058/03/2021

Ref. No: IRDAI/HLT/REG/CIR/058/03/2021

दिनांक / Date: 23.03.2021

**परिपत्र**  
**Circular**

प्रति / To ,  
सभी साधारण और स्टैंडएलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता  
All General and Standalone Health Insurers

**विषय: मानक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उत्पाद के संबंध में दिशा-निर्देशों का संशोधन**  
**Re: Modification of Guidelines on Standard Personal Accident Insurance product**

1. मानक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उत्पाद के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुलग्नक -1 (उत्पाद पॉलिसी के नियम और शर्तों) संदर्भ, परिपत्र संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/एचएलटी/जीडीएल/विविध/036/02/2021 दिनांकित 25.02.2021, की ओर संदर्भ आकर्षित किया जाता है।

Reference is drawn to Annexure -1 (Policy terms and conditions of the product) of Guidelines on Standard Personal Accident Insurance product issued vide Circular Ref No: IRDA/HLT/GDL/MISC/036/02/2021 dated 25.02.2021.

2. आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम 2016 के विनियम (14) के प्रावधानों के अनुपालन में नियम और शर्तों के आंशिक संशोधन में उत्पाद की पॉलिसी के नियम और शर्तों के "सामान्य नियमों और शर्तों" के अनुच्छेद 8 के अन्तर्गत निम्नलिखित धारा जोड़ी गयी है:

In partial modification of the terms and conditions, in compliance with the provisions of Regulation (14) of IRDAI (Health Insurance) Regulations 2016, the following clause is inserted under section 8 - "General terms and conditions" of policy terms and conditions of the product:

**8.18. फ्री लुक अवधि / Free look period**

फ्री लुक अवधि नयी पॉलिसी पर लागू होगी और नवीकृत पॉलिसियों के लिए नहीं लागू होती है।  
The Free Look Period will be applicable on the new policy and not on renewals

1. बीमाकृत को, पॉलिसी की प्राप्ति की तिथि से लेकर 15 दिनों की फ्री लुक अवधि की अनुमति दी जाती है ताकि वह पॉलिसी के नियम और शर्तों की समीक्षा कर सके और यदि पॉलिसी अस्वीकार्य हो तो उसको लौटाये।

The insured will be allowed a period of fifteen days from date of receipt of the Policy to review the terms and conditions of the Policy, and to return the same if not acceptable.

2. यदि बीमाकृत ने फ्रीलुक अवधि के दौरान कोई दावा नहीं किया है तो बीमाकृत निम्नलिखित का पात्र होगा;

If the insured has not made any claim during the Free Look Period, the insured shall be entitled to;



क) कंपनी द्वारा बीमाकृत की चिकित्सकीय जाँच पर, कंपनी द्वारा उपचित किये गये कोई व्यय और स्टैम्प ड्यूटी प्रभार घटा कर, प्रदत्त प्रीमियम का पुनर्भुगतान या,

a) a refund of the premium paid less any expenses incurred by the Company on medical examination of the insured person and the stamp duty charges or,

ख) जहाँ जोखिम की शुरुआत हो चुकी है और पॉलिसी को लौटाने के विकल्प का बीमाकृत द्वारा इस्तेमाल किया गया है, कवर की अवधि के लिए अनुपातिक जोखिम प्रीमियम के लिए कटौति या;

b) Where the risk has already commenced and the option of return of the Policy is exercised by the insured, a deduction towards the proportionate risk premium for period of cover or;

ग) जहाँ बीमा कवरेज के केवल एक अंश की शुरुआत हुई है, ऐसी अवधि के दौरान बीमा कवरेज के अनुरूप अनुपातिक प्रीमियम।

c) Where only a part of the insurance coverage has commenced, such proportionate premium commensurate with the insurance coverage during such period.

3. इसको सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति है।

This has approval of the competent authority.

हस्ताक्षरित / Sd/-  
(डीवीएस रमेश / D V S Ramesh)  
महाप्रबंधक (स्वास्थ्य) / General Manager (Health)